निक्षेप बीमा ओंर प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी
Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

REMITTANCE OF PREMIUM THROUGH RTGS/NEFT

Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) through various circulars had intimated to all insured banks to remit the deposit insurance premium through electronic mode of payment i.e. RTGS/NEFT. However, certain insured banks continue to remit Half Yearly Premium to DICGC by means of Cheques/Demand Drafts/Pay Orders (physical instruments) which involves dispatch of instruments by banks at their end and collection of proceeds after receiving the instruments in DICGC. It is observed that on certain occasions, due to the time lag, premium receipt is delayed attracting levy of penal interest on amount of premium at 8 per cent above the Bank Rate from the beginning of the relevant half year till the date of realisation of proceeds. In view of this, insured banks are once again advised to desist remittance of insurance premium henceforth through cheque/payorder/demand draft etc. The banks may avail NEFT/RTGS services from nearest commercial bank, if need be, for remittance of premium.

2. The banks are also advised to quote invariably the Institution code/Registration Number allotted by DICGC in the NEFT/RTGS application for remittance while remitting the premium through RTGS/NEFT.
3. The Account Number of DICGC and IFSC Code for remittance of premium are given here under:

For NEFT	A/C No - 8705688	IFSC - DICG0000002
For RTGS	A/C No - 8710596	IFSC - DICG0000001

4. Insured banks may also visit DICGC's website (www.dicgc.org.in) for further details.

Size: 8(w) x 10(h) - (English)

निक्षेप बीमा ओंर प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहयोगी
Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्रीमियम का प्रेषण

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) ने अपने विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सभी बीमित बैंकों को सूचित किया था कि वे बीमा प्रीमियम का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ही करें। तथापि, कुछ बीमित बैंक अभी भी डीआईसीजीसी को छमाही प्रीमियम का भुगतान चेक/डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश (भौतिक लिखत/दस्तावेज़) के माध्यम से कर रहें है। इस प्रक्रिया में बीमित बैंक द्वारा भौतिक लिखत/दस्तावेज का प्रेषण एवं डीआईसीजीसी द्वारा भौतिक लिखत/दस्तावेज़ की प्राप्ति के बाद प्रीमियम राशि का एकत्रित करना शामिल है। यह देखा गया है कि कुछ अवसरों पर समय के अंतराल से प्रीमियम की प्राप्ति में होने वाले विलंब के कारण प्रीमियम की राशि पर वित्तीय अर्धवर्ष की शुरुआत से आय की प्राप्ति की तिथि तक दंडात्मक ब्याज आकर्षित हो रहा है जो कि बैंक दर से 8 फीसदी अधिक है। इसे देखते हुए, बीमित बैंकों को पुनः निर्देश दिया जाता है कि वे प्रीमियम राशि का चेक/भुगतान आदेश/डिमांड ड्राफ्ट आदि के माध्यम से प्रेषण बंद कर दें यदि जरूरत हो तो बीमित बैंक अपनी प्रीमियम राशि का भुगतान करने के लिए उनके निकटतम वाणिज्यिक बैंक से एनईएफटी/आरटीजीएस सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

2. बैंकों को यह निर्देश भी दिया जाता है कि वे आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्रीमियम का प्रेषण करते समय आरटीजीएस/एनईएफटी प्रपत्र पर डीआईसीजीसी द्वारा आवंटित संस्थान संख्या/पंजीकरण संख्या का हमेशा उल्लेख करें।
3. प्रीमियम के प्रेषण हेतु डीआईसीजीसी का खाता संख्या और आईएफएससी कोड निम्नानुसार है:

एनईएफटी के लिए	खाता संख्या – 8705688	आईएफएससी – DICG0000002
आरटीजीएस के लिए	खाता संख्या – 8710596	आईएफएससी – DICG0000001

4. बीमित बैंक अतिरिक्त जानकारी के लिए डीआईसीजीसी की वेबसाइट (www.dicgc.org.in) देख सकते हैं।

Size: 8(w) x 10(h) - (Hindi)